

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
शंकर बनाम गणेश वगै०
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रकरण संख्या 104 सन् 2021

Long
2021/166

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
06.10.2021	<p>अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 435, 59, 60 व ख0न0 61 कुल किता 04 कुल रकबा 7.7260 हैक्ट. वाके ग्राम निम्हेड़ा पटवार हल्का निम्हेड़ा भू.अ.नि. क्षेत्र नानेर तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3 हैं और शेष हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। जिसका पक्षकार अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है किन्तु आराजी का विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। जिसकी वजह से पक्षकारान् के बीच विवाद उत्पन होने लगा हैं। अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती प्रार्थी को उसके हक हिस्से व कब्जेशुदा आराजी के कुछ हिस्से से बेदखल करने पर आमादा हैं एवं अनावश्यक विवाद उत्पन कर प्रार्थी को उसके हक हिस्से की आराजी को बोनो जोने में अवरोध उत्पन कर रहे हैं। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।</p> <p>हमने बहस प्रार्थी एक तरफा सुनी। दौराने बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 435, 59, 60 व ख0न0 61 कुल किता 04 कुल रकबा 7.7260 हैक्ट. वाके ग्राम निम्हेड़ा पटवार हल्का निम्हेड़ा भू.अ.नि. क्षेत्र नानेर तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/3 हैं और शेष हिस्सा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। जिसका पक्षकार अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है किन्तु आराजी का विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। जिसकी वजह से पक्षकारान् के बीच विवाद उत्पन होने लगा हैं। अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती प्रार्थी को उसके हक हिस्से व कब्जेशुदा आराजी के कुछ हिस्से से बेदखल करने पर आमादा हैं एवं अनावश्यक विवाद उत्पन कर प्रार्थी को उसके हक हिस्से की आराजी को बोनो जोने में अवरोध उत्पन कर रहे हैं। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।</p> <p>प्रकरण में प्राइमाफेसीयों केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 उक्त वर्णित आराजीयात के संयुक्त रूप खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी को उनके हक हिस्से की आराजी के उपयोग उपभोग करने में मजामहत एवं मदाखलत नहीं करें</p>	

उप खण्ड अधिकारी

पीपलू उपखण्ड अधिकारी
C:\Users\user\Desktop\sdo office\Court\Stay.docx

1

एवं प्रार्थी को उनके हक हिरसे की आराजी से बेदखल नहीं करें। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करें। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रार होकर दिनांक 29.10.2021 हो पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)

29 ¹⁰/₂₁ पी.ओ. साहब अयकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / ~~केस~~
पर होने से दिनांक ~~03.12.21~~ को पेश हो
Ram

03 ¹²/₂₁ पी.ओ. साहब अयकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण / ~~केस~~
पर होने से दिनांक ~~27.01.22~~ को पेश हो
Ram

27 ⁰¹/₂₂ पी.ओ. साहब अयकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पर होने से दिनांक ~~01.04.22~~ को पेश हो
Ram

01 ⁰⁴/₂₂ अधिकारियों ने कन्वैन्शन/इडतल/कतय स्थगित रखने
बाबत दिनांक-19.05.22 को पेश हो
Ram

19 ⁰⁵/₂₂ पी.ओ. साहब अयकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पर होने से दिनांक ~~15.06.22~~ को पेश हो
Ram

15 ⁰⁶/₂₂ पी.ओ. साहब अयकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पर होने से दिनांक ~~05/08/22~~ को पेश हो
Ram

05 ⁰⁸/₂₂ पी.ओ. साहब अयकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पर होने से दिनांक ~~07.09/22~~ को पेश हो
Ram

09 ⁰⁹/₂₂ पी.ओ. साहब अयकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पर होने से दिनांक ~~29/11/22~~ को पेश हो
Ram

29 ¹¹/₂₂ पी.ओ. साहब अयकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण
पर होने से दिनांक ~~07.02.23~~ को पेश हो
Ram

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज्ञ अदालत मुकाम

शंकर बनाम गोरीश किस्य मुकदमा

नं. 104 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
07/23	02 पी.ओ साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 11/04/23 को पेश हो <i>Ran</i>	
11/23	पी.ओ साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 31.05.23 को पेश हो <i>Ran</i>	
19/23	31/5 पी.ओ साहब अवकाश/स्थानान्तरण/भ्रमण पर होने से दिनांक 19/5/23 को पेश हो <i>Ran</i> पत्रावली पेश हुई सम्मन तलबाना पेश होकर पत्रावली दिनांक 19-5-23 से पेश हो <i>Ran</i>	
19/23	09 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्राची उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 11/11/23 पेश हो। <i>Ran</i>	
21/23	11 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्राची उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 11/11/23 पेश हो। <i>Ran</i>	
11/24	01 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्राची उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 14/03/24 पेश हो। <i>Ran</i>	
14/24	03 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्राची उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 24/05/24 पेश हो। <i>Ran</i>	

तारीख दिवस	दिवस या कार्यवाही भय इतिहासका जग	नाम्बर या अधिकार दिवस या में जग
22/07/24	पत्रकारिता पत्रा हुई। अभिवक्ता वाकी/प्रवासी उत्कृष्ट/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रकारिता आ आदेशिका अनुसार दिनांक 22.07.24.....पेश हो।	
23/07/24	पत्रकारिता पत्रा हुई। अभिवक्ता वाकी/प्रवासी उत्कृष्ट/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रकारिता आ आदेशिका अनुसार दिनांक 24.07.24.....पेश हो।	
24/07/24	पत्रकारिता पत्रा हुई। अभिवक्ता वाकी/प्रवासी उत्कृष्ट/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रकारिता आ आदेशिका अनुसार दिनांक 19.11.2024.....पेश हो।	
19/11/24	पत्रकारिता पत्रा हुई। अभिवक्ता वाकी/प्रवासी उत्कृष्ट/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रकारिता आ आदेशिका अनुसार दिनांक 16.11.25.....पेश हो।	
16/11/25	पत्रकारिता पत्रा हुई। अभिवक्ता वाकी/प्रवासी उत्कृष्ट/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रकारिता आ आदेशिका अनुसार दिनांक 25.11.25.....पेश हो।	
25/11/25	पत्रकारिता पत्रा हुई। अभिवक्ता वाकी/प्रवासी उत्कृष्ट/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रकारिता आ आदेशिका अनुसार दिनांक 13/11/25.....पेश हो।	
13/05/25	पत्रकारिता पत्रा हुई। अभिवक्ता वाकी/प्रवासी उत्कृष्ट/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रकारिता आ आदेशिका अनुसार दिनांक 23.05.25 को पत्रकारिता पत्रा हुई। अभिवक्ता वाकी/प्रवासी उत्कृष्ट/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रकारिता आ आदेशिका अनुसार दिनांक 23.05.25 को पत्रा हुई।	

तारीख
हुकम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

28/05/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राची उप।
अधिवक्ता प्राची ने बख्त का निवेदन
दिया। प्रतिपक्षीय की शामिल हो चुकी
है। अतः इनके विन्दु एक तरफा कार्यवाही
अफस से जारी जाती है। पत्रावली ~~का~~
से अधिवक्ता प्राची की एक तरफा बख्त
चुकी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक
22.06.2025 को पेश हो।

06/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कबी/प्राची
अधिवक्ता/पी.ओ. साहब राजकार्य में ~~बख्त~~
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली ~~का~~ आवेशिका अनुसार दिनांक
18/06/25 को पेश हो।
Ram

18/06/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कबी/प्राची
अधिवक्ता/पी.ओ. साहब राजकार्य में ~~बख्त~~
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली ~~का~~ आवेशिका अनुसार दिनांक
20.06.25 को पेश हो।
Ram

20/06/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राची उप। पत्रावली
का अलोकन किया गया व अधिवक्ता प्राची
की बख्त पर मन्त किया जाकर पुरखु प्राप्ति
स्वीकार किया जाकर निर्णय पृष्ठ से लिखाया
गया, जो शामिल मिसल है। पत्रावली निर्णय
शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार
नम्बर से कम हो।
उप खण्ड अधिकारी
पीपल (दो/10)